



शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्,
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था)
डाकघर : कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड, जोधपुर - 342005



ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE

Indian Council of Forestry Research & Education,

(An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)

P.O. Krishi upaz Mandi, New Pali Road, Jodhpur- 342005

AFRI-GST NO.-GSTIN 08AAAAI1708GIZI

कमांक 181/शुअवंस/सुएवंसे/कय/व.सं.प्र./GSDP Training-2020/5(110)बी/2019

दिनांक: 07 फरवरी, 2020

सेवा में,

.....
.....
.....
.....

विषय: GSDP Training 2020 के दौरान खान-पान की व्यवस्था हेतु कोटेशन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में नीचे और पीछे दी हुई शर्तों के अधीन निदेशक को संबोधित करते हुए कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। विषय लिखा हुआ बंद लिफाफा इस कार्यालय में दिनांक 17-02-2020 दोपहर 3.30 तक प्राप्त हो जाना चाहिये। नियत दिनांक 17-02-2020 को 4.00 बजे प्राप्त कोटेशन खोले जायेंगे। अगर आप इच्छुक हों तो कोटेशन खुलने के समय स्वयं उपस्थित हो सकते हैं अथवा अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं:-

S.No.	Details of Items	Quantity
1	नाश्ता + लन्च + सेशन टी (दो बार) + डिनर, (जोधपुर स्थानीय) आफरी जोधपुर	20 persons for 30 days

शर्तें:-

- कोटेशन प्रस्तुत करने से पूर्व अधिक जानकारी हेतु मांगकर्ता डॉ. संगीता सिंह, वैज्ञानिक-ई, वन संरक्षण प्रभाग से सम्पर्क कर सकते हैं।
- उक्त खान पान की सारी व्यवस्था फर्म की होगी।
- भोजन व्यवस्था का मीन्यू कोटेशन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- कोटेशन में जी.एस.टी. का स्पष्ट उल्लेख किया जाना है।
- कोटेशन में आपकी फर्म के लेटर हैड पर ही दरें भर कर ही कोटेशन दिया जाना है। सादा पेपर पर दरें भर कर मोहर लगा कर दिये जाने वाले कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

(मनोज चौहान)

(मनोज चौहान)
कय अधिकारी

प्रतिलिपि:- कोटेशन खोलने हेतु नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का श्रम करें:

- आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखा अनुभाग, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।
- डॉ. संगीता सिंह, वैज्ञानिक-ई, प्रभागाध्यक्ष, वन संरक्षण प्रभाग, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।
- प्रभारी अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें।
- सूचना पट्ट

शर्तें

1. आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाने पर आपको माल स्वीकृति से पंद्रह दिन के अन्दर पूरी मात्रा में पहुँचाना होगा । यदि आपको आपूर्ति आदेश दिया गया तो उसमें माल पहुँचाने की अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है । यदि आप माल पहुँचाने का समय आपूर्ति आदेश की प्राप्ति से सात दिन के अन्दर सूचित नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि आपने प्रस्तावित समय के अन्दर माल पहुँचाना स्वीकार कर लिया है क्योंकि समय ही इस प्रस्ताव की सार वस्तु है । प्रस्तावित समय के अन्दर आपकी माल पहुँचाने की विफलता की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी, अन्यत्र से माल खरीदने तथा उनकी कीमतों में जो अन्तर आएगा उसे वसूल करने का अधिकारी होगा ।
2. माल किराया भाड़ा चुकाते हुए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर पहुँचाना होगा और उसे अन्य स्थान पर दिया जाना हमें स्वीकार नहीं होगा ।
3. व्यापार की शर्तों की ब्यौरा जैसे पैकिंग और प्रेषण व्यय, माल पहुँचाने की अवधि, बिक्री कर (राज्यीय या केन्द्रीय) तथा अन्य कर/प्रभार, यदि कोई हों, माल पर बट्टा मिलने की वैध अवधि, निःशुल्क माल पहुँचाई, पैकिंग या कोई भी अन्य जानकारी जो आपूर्ति से संगत हो, दी जाए ।
4. आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं की पूरी विशिष्टियों, ब्यौरा व अन्य जानकारी जैसे-निर्माता, आकार इत्यादि दी जाए तथा उनका छपा साहित्य और नमूने जहाँ संभव हो भेजे जाएं ।
5. कृपया यह नोट करें कि सरकारी आदेशों के अनुसार कोई बीमा शुल्क नहीं दिया जा सकेगा । माल को कोटेशन के अनुसार सही हालत में पहुँचाने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की है और टूट-फूट, चूने, टपकने से हुई कमी की हालत में क्षतिपूर्ति आपूर्तिकर्ता के बिल से काटी जायेगी । वी.पी.पी. के लिए पेशगी राशि देने के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा । माल के संतोषजनक ढंग से प्राप्त होने और आपूर्तिकर्ता का बिल प्राप्त हो जाने पर ही भुगतान किया जायेगा ।

निम्न जानकारी पूर्ण रूप से विपत्र के साथ उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।

1	जी.एस.टी. संख्या	
2	पैन(PAN) संख्या	
3	बैंक का वर्तमान पूर्ण नाम व खाता संख्या	
4	फर्म का वर्तमान पूर्ण नाम व पता	
5	मोबाईल न., फोन न. व ई.मेल पता	
6	टेन (TAN) (उपलब्ध होने पर)	

(हस्ताक्षर मय सील)